

(14)

35

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No.E(NG)I-76PMI/6.

New Delhi, dated 26-8-1978.

The General Managers,
All Indian Railways,
DLW, CLW & ICF.

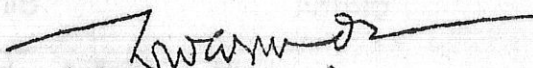
Sub:- Classification of non-gazetted staff- Drawing offices.

.....

It has been decided by the Ministry of Railways that the following classification for posts in Drawing Offices may be followed:-

	<u>Scale</u> Rs.	<u>Classification</u>
Draftsmen	425-700	Selection
Hd. Draftsmen	550-750	Non-selection
Asstt. Supdt. Drawing Offices	700-900	Selection
Supdt. Drawing Offices	840-1040	Non-Selection

(This disposes of G.M., C.L.W.'s letter No.GMA/Ruling/
130(2) dated 14.12.1977).


(Dwarka Dass)
Deputy Director, Establishment,
Railway Board.

DA/NIL.

Copy to JD(OL), Railway Board.

.....

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.ई(एन जी) 1-76 पी एम 1/6

नयी दिल्ली दिनांक 26-8-1978

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें, डी.रे.का. चि.रे.का.,
एवं सवारी डिब्बा कारखाना ।

विषय:- ड्राईंग कार्यालयों के अराजपत्रित कर्मचारियों का वर्गीकरण ।

रेल मंत्रालय ने यह विनिश्चय किया है कि ड्राईंग कार्यालयों में पदों के लिए निम्नलिखित वर्गीकरण अपनाया जाय:-

	वेतनमान ----- रुपये	वर्गीकरण -----
ड्राफ्ट्समैन	425-700	प्रवरण
प्रधान ड्राफ्ट्समैन	550-750	अप्रवरण
सहायक अधीक्षक ड्राईंग कार्यालय	700-900	प्रवरण
अधीक्षक ड्राईंग कार्यालय	840-1040	अप्रवरण

(इससे महाप्रबंधक, चि.रे.का. के 14.12.1977 के पत्र सं. जी एम ए/रुलिंग/
130(2) का निपटारा हो जाता है ।

द्वारका दास

(द्वारका दास)

उप निदेशक, स्थापना

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक (रा. भा.) रेलवे बोर्ड को प्रेषित ।